बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–01/2016– 1633 /कृ0,पटना,दिनांक 28/3/ ,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 3716.045 लाख रूपये (सैंतीस करोड़ सोलह लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (वित्तीय वर्ष 2014–15 में हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत निकासी की गई राशि 3022.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 694.045 लाख रूपये) के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं राज्य योजना अंतर्गत कुल 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (सामान्य वर्ग के लिए 576.057 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 111.047 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 6.941 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 3716.045 लाख रूपये (सैंतीस करोड़ सोलह लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (वित्तीय वर्ष 2014–15 में हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत निकासी की गई राशि 3022.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 694.045 लाख रूपये) के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं राज्य योजना अंतर्गत कुल 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) (सामान्य वर्ग के लिए 576.057 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 111.047 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 6.941 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत कार्यक्रमों का मदवार निम्न प्रकार है :–

क्र०	मद	सहायता दर		इकाई	गौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)		
		सामान्य कोटि (83 प्रतिशत)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कोटि (17 प्रतिशत)			हरित क्रांति	राज्य योजना	कुल
	परिसंपत्ति निर्माण							
1	पैडी ड्रम सीडर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3750 रूपये प्रति इकाई	संख्या	1500	22.50	24.4125	46.9125
2	जीरो टिलेज	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	3000	450.00	501.00	951.00
3	पैडी ट्रांसप्लाटर	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 75000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 94000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	200	150.00	6.46	156.46
4	पम्पसेट (डीजल/ इलेक्ट्रीक) up to 10 HP	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	16005	1600.50	136.00	1736.50
5	स्प्रेयर/प्लांट प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (मैनुअल)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 750 रूपये प्रति इकाई	संख्या	62737	324.00	15.4725	339.4725
6	पावर वीडर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	500	75.00	4.25	79.25

7	पैडी थ्रेसर (Power opt. 6' drum size)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रूपये प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 45000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	757	240.00	6.45	246.45
8	मल्टी–क्रॉप थ्रेसर	अधिकतम 20000 रूपये प्रति इकाई	अधिकतम 25000 रूपये प्रति इकाई	संख्या	767	160.00	0.00	160.00
	कुल					**3022.00**	**694.045**	**3716.045**

3. कृषि कार्य में पैडी ड्रम सीडर, जीरो टिलेज, पैडी ट्रांसप्लाटर, पम्पसेट (डीजल/इलेक्ट्रीक) up to 10 HP, स्प्रेयर/प्लांट प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (मैनुअल), पावर वीडर, पैडी थ्रेसर (Power opt. 6' drum size) एवं मल्टी–क्रॉप थ्रेसर यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन यंत्रों के उपयोग से मजदूर की कमी की पूर्ति की जा सकती है तथा ससमय कृषि कार्य संपादित किया जा सकता है। कृषकों को चावल एवं गेहूँ उत्पादन दर बढ़ाने एवं उत्पादन लागत कम करने हेतु परिसम्पति निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जायेगा। इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑन लाईन स्वीकृति पत्र निर्गत करने के पश्चात् ही किसानों द्वारा कृषि यांत्रिकरण मेला अथवा मेला के बाहर भी अपनी इच्छानुसार कृषि विभाग से पंजीकृत निर्माताओं/बिक्रेताओं से कृषि यंत्र क्रय किया जा सकेगा। किसानों द्वारा कृषि यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान का दावा किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त दावा–पत्र के आलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से अनुदान भुगतान कृषकों के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

4. भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति उप योजना के लिए निर्धारित मार्ग दर्शिका तथा कृषि विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत परिसम्पति निर्माण कार्यक्रमों के लिए योजना स्वीकृत की गयी थी। परिसम्पति निर्माण के अंतर्गत कृषि यंत्रों का अनुदान दर पर वितरण किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कृषि विभाग, बिहार, पटना के राज्यादेश संख्या– 5134, 5135, 5136 दिनांक–20.11.2014 आवंटनादेश संख्या– 171, 172, 173 (आवंटन) दिनांक–28.11.2014 के आलोक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण मद से कुल 3022.00 लाख रू० निकासी कर निदेशक बामेती के स्तर पर रखी हुई है। हरित क्रांति उप योजना अन्तर्गत एवं राज्य योजना अन्तर्गत तथा SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) अंतर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान दर में भिन्नता रहने के कारण हरित क्रांति उप योजना अन्तर्गत स्वीकृत 3022.00 लाख रूपये के परिसम्पति निर्माण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हो सका। अव्यवहृत उक्त 3022.00 लाख रूपये का वित्तीय वर्ष 2015–16 में उन्हीं कार्यक्रमों पर व्यय के लिए भारत सरकार के पत्रांक–7–3/2015 आर०के०वी०वाई० दिनांक– 27.01.2016 के द्वारा पुनर्वैधीकरण प्राप्त है। पुनर्वैधीकरण पत्र में उल्लेख है कि इस कार्य के लिए राज्य योजना से अनुदान का topping up अनुमोदित नहीं किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत यह अनुमान्य नहीं है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–D में ऐसी परियोजनाओं की सूची दी गयी है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अनुमान्य नहीं है। इस सूची के क्रमांक 5 पर अंकित है कि राज्यांश या अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अनुदान दर को top up करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि राज्य योजना से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना को top up नहीं किया जा सकता है। अतएव राज्य योजना से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुदान दर को top up करना भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन नहीं है। इसके आलोक में भारत सरकार के पत्र की उक्त कंडिका मान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization)/राज्य योजना एवं हरित क्रांति योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान की दर में भिन्नता है। अनुदान दर में एकरूपता लाने के लिए हरित क्रांति उप योजना की अनुमान्य अनुदान दर पर टॉप–अप करने के लिए राज्य योजना से 694.045 लाख रूपये की राशि ली गयी है।

6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 3022.00 लाख रूपये निकासी कर अव्यवहृत अवशेष है। इसलिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत बजट उपबंध की आवश्यकता नहीं है। हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत अनुमान्य सहायता/अनुदान दर पर टॉप–अप करने के लिए राज्य योजना से राशि की निकासी की जानी है।

7. राज्य योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) में से सामान्य वर्ग के लिए 576.057 लाख रूपये (पाँच करोड़ छिहतर लाख पाँच हजार सात सौ रूपये) मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–113–कृषि

इंजीनियरी–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0105–प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन, विपत्र कोड–P2401001130105, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि 14065.99 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

8. राज्य योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) में से अनुसूचित जाति के लिए 111.047 लाख रूपये (एक करोड़ ग्यारह लाख चार हजार सात सौ रूपये) मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0120–प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन, विपत्र कोड–P2401007890120, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि 4028.71 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

9. राज्य योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 694.045 लाख रूपये (छः करोड़ चौरानवे लाख चार हजार पाँच सौ रूपये) में से अनुसूचित जनजाति के लिए 6.941 लाख रूपये (छः लाख चौरानवे हजार एक सौ रूपये) मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0143–प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन, विपत्र कोड–P2401007960143, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि 450.82 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत हरित क्रांति उप योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म–46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के पी०एल० खाता संख्या 278 में अंतरित की जायेगी। बामेति के द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। राज्य योजना अंतर्गत निकासी की जाने वाली राशि एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत निकासी की गई राशि 3022.00 लाख रूपये बामेति द्वारा कृषि निदेशक के परामर्श के आलोक में संबंधित जिला के आत्मा/कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होगें। बामेती/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते एवं लेखा का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

11. उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 21.05.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक–21.03.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–01/2016 के पृ0सं0– 19/टि. पर प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–01/2016 के पृ0सं0– 21 /टि. पर दिनांक– 22-03-2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु सिंह)
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।